संख्या-1533/2025/1803/22-2-2023-17(553)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, जो ग्राम-बूढपुर, थाना-रमाला, जनपद-बागपत की निवासी है। बन्दी द्वारा प्रधानी का चुनाव हारने की रंजिश के कारण दिनांक 12-04-1995 को 06 सहअभियुक्तों बन्दूक, रायफल व देशी कट्टा से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-65/2003, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष सं0-01 बागपत के दण्डादेश दिनांक 06.09.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.01.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष 08 माह 01 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 07 माह 09 दिन मात्र की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रकिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92. दिनाक 13-04-2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.01.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 08 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 07 माह, 09 दिन मात्र की सजा भोगी गयी, बंदी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता (04 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओ पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्रपाल सिंह (बन्दी संख्या-182/16) पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी जनपद-बागपत की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1533/2025/1803(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।